		हुक्म की ताम… जारी हु…
15.4.25	पत्रावली पेश हुयी विगत तारीख पेशी पर प्रा. पत्र पर बहस सुनी गयी थी। प्रकरण शुद्धि का प्रतीत का प्रतीत होता है। अतः प्रकरण मे विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी रामगढ (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :- सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस)

		निर्णय दिनांक
	दायर दिनांक	15.04.2025
प्रार्थना पत्र संख्या	04.08.2023	
03 / 16		

उनवान

01. कुलवन्त कौर पत्नि स्व0 प्रीतपालसिंह उर्फ पृथ्वीपालसिंह जाति ब्राहम्ण सिक्ख निवासी बहाला रामगढ जिला अलवर

..............................प्रार्थीनी

बनाम

02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ .... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम मश्वरे दुरस्ती किये जाने बाबत।

निर्णय

प्रार्थीनी कुलवन्त कौर पत्नि स्व0 प्रीतपालसिंह उर्फ पृथ्वीपालसिंह जाति ब्राहम्ण सिक्ख निवासी बहाला रामगढ जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीनी के पति की आराजी जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता सं0 741 के आराजी 574 रकबा 0.42, 598 रकबा 0.62, 821 रकबा 0.35, 850 रकबा 0.10 एवं खाता सं0 742 के आराजी खसरा नं0 567 रकबा 1.44, 851 / 0.05, एवं खाता सं0 743 के आराजी खसरा नं0 833 रकबा 0.51, 834 रकबा 0.61, 857 रकबा 0.37 एवं खाता सं0 744 के आराजी खसरा नं0 1994 रकबा 0.77, 1997 रकबा 0.12, 596 रकबा 0.25, 816 रकबा 0.29, 840 रकबा 0.16, 848 रकबा 0.33 हे0 वाके ग्राम बहाला तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है। जिस आराजी का प्रार्थीनी का पति रिकोर्डेड

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

काबिज काश्तकार खातेदार है। उपरोक्त आराजी इस प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी है
जो आगे प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी से सम्बोधित की जावेगी। प्रार्थीनी के पति का
नाम प्रीतपालसिंह उर्फ पृथ्वीपालसिंह पुत्र सोहनसिंह है, जैसा कि आधार कार्ड, मृत्यु
प्रमाण पत्र वाके ग्राम बहाला आदि में स्पष्ट अंकित है, जो सही है तथा पहचान पत्र में
प्रार्थीनी के पति का नाम पृथ्वीपालसिंह पुत्र सोहनसिंह है जो दोनो नाम एक ही व्यक्ति
के है। और उक्त दोनो नाम प्रार्थीनी के पति के हीह"। तथा प्रार्थीनी का नाम जमाबन्दी
सम्वत 2073–76 के खाता सं0 741, 742, 743, 744 वाके ग्राम बहाला में प्रीतपालसिंह
पुत्र सोहनसिंह के स्थान पर प्रथीपालसिंह पुत्र सोहनसिंह गलत नाम दर्ज रिकार्ड है। जो
गलत है, राजस्व कर्मचारियान द्वारा जमाबन्दी तैयार करते समय राजस्व रिकार्ड के
समस्त खातों में प्रार्थीनी के पति का गलत नाम दर्ज कर दिया जिससे प्रार्थीनी को
काफी परेशानी हो रही है। जबकि राजस्व कर्मचारियान को प्रार्थीनी के पति का सही
नाम प्रीतपालसिंह उर्फ पृथ्वीपालसिंह पुत्र सोहनसिंह ही दर्ज करना चाहिए था।

प्रार्थीनी के पति का नाम जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता सं0 741,
742, 743, 744 वाके ग्राम बहाला में लिपीकीय गलती के कारण गलत नाम प्रथीपालसिंह
पुत्र सोहनसिंह दर्ज गया जो गलत है उसे दुरूस्त कर उसके स्थान प्रार्थीनी के पति का
सही नाम प्रीतपालसिंह उर्फ पृथ्वीपालसिंह पुत्र सोहनसिंह दर्ज किया जावे। प्रार्थीनी
राजस्व कर्मचारियान द्वारा सहवन से लिपीकीय त्रुटि को दुरूस्त कराने का कानूनन
अधिकारी है। प्रार्थीनी के पति प्रीतपालसिंह उर्फ पृथ्वीपालसिंह पुत्र सोहनसिंह की मृत्यु
दिनांक 08.09.2021 को हो चुकी है। प्रार्थीनी अपने पति की आराजी की विरासत का
इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए पटवारी हल्का के पास गई तो पटवारी हल्का ने राजस्व
रिकार्ड देखकर बताया कि आपके पति का नाम हाल जमाबन्दी में प्रथीपालसिंह पुत्र
सोहनसिंह दर्ज है। और मृत्यु प्रमाण पत्र में प्रीतपालसिंह पुत्र सोहनसिंह दर्ज है। इसलिए
विरासत इन्तकाल दर्ज नही हो सकता। राजस्व रिकार्ड के खातों में प्रार्थीनी के पति का
नाम अलग अलग होने से प्रार्थीनी के पति की विरासत का नामान्तकरण दर्ज नही हो
सकता। इसलिए मिन प्रार्थीनी को यह प्रार्थना पत्र दुरूस्ती कराने की मजामहत पैदा हुई
जो अन्दर अवधि प्रस्तुत है। प्रार्थीनी द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार रामगढ के यहां
नाम दुरूस्ती का प्रस्तुत किया जिसमें तहसीलदार द्वारा साफ मना कर दिया गया कि
हम आपके पति के नाम को दुरूस्त नही कर सकते। सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर
आये उसके बाद हम आपके पति का नाम दुरूस्त कर सकते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाकर ताहाल राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीनी के पति के दस्तावेजात के आधार पर
जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता सं0 741 के आराजी 574 रकबा 0.42, 598 रकबा
0.62, 821 रकबा 0.35, 850 रकबा 0.10 एवं खाता सं0 742 के आराजी खसरा नं0 567
रकबा 1.44, 851/0.05, एवं खाता सं0 743 के आराजी खसरा नं0 833 रकबा 0.51,
834 रकबा 0.61, 857 रकबा 0.37 एवं खाता सं0 744 के आराजी खसरा नं0 1994

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

रकबा 0.77, 1997 रकबा 0.12, 596 रकबा 0.25, 816 रकबा 0.29, 840 रकबा 0.16, 848 रकबा 0.33 हे0 वाके ग्राम बहाला तहसील रामगढ जिला अलवर में जहां जहां प्रथीपालसिंह पुत्र सोहनसिंह गलत दर्ज हुआ है उसे दुरूस्त करते हुए प्रार्थीनी के पति तथा तरतीबी अप्रार्थीनी के पिता का सही नाम प्रीतपालसिंह उर्फ पृथ्वीपालसिंह पुत्र सोहनसिंह दर्ज कराया जावे तथा मृतक प्रीतपालसिंह उर्फ पृथ्वीपालसिंह की विरासत का नामान्तरकरण मृतक के वारिसान प्रार्थीनी व तरतीबी अप्रार्थीनी के नाम दर्ज किया जावे। तदानुसार समस्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र के जवाब में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जिसका विवरण इस प्रकार है मृतक प्रथीपाल पुत्र सोहनसिंह जाति सिख क नाम राजस्व रिकार्ड में खाता सं0 741, 742, 743, 744 में दर्ज 1/3 हि0 भूमि को मृतक की पत्नि कुलवांत कौर बो जोतकर काश्त कर रही है। मृतक के नाम जमाबंदी संवत् 2073–76 में खाता सं0 741, 742, 743, 744 में प्रथीपाल पुत्र सोहनसिंह जाति सिक्ख नि0 बहाला खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मृतक खातेदार प्रथीपाल पुत्र सोहनसिंह नि0 बाहाला के आधार कार्ड सं0 954913070998 में प्रीतपालसिंह पुत्र सोहनसिंह नि0 बहाला एवं इसी आधार कमांक से दूसरे आधार कार्ड में प्रथ्वीपाल सिंह पुत्र सोहनसिंह नि0 बहाला के नाम अंकित है। मृतक की पत्नि कुलवंत कौर के आधार कार्ड सं0 734148885188 में पति के नाम में पृथ्वीपाल सिंह अंकित है। एवं मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र रजि0 सं0 08104004980033800023/2021 दिनांक 20.09.2021 में मृतक का नाम प्रीतपाल सिंह पुत्र सोहनसिंह दर्ज है। ग्राम में प्रीतपालसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति सिक्ख व प्रथीपालसिंह पुत्र सोहनसिंह मृतक व्यक्ति का नाम थे। एवं तस्दीक किया कि इस नाम का ग्राम में अन्य कोई व्यवित्त नही है व दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की रिपोर्ट पर मनन किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से प्रतीत होता है कि जमाबंदी संवत् 2073–76 में खाता सं0 741, 742, 743, 744 में प्रथीपाल पुत्र सोहनसिंह जाति सिक्ख नि0 बहाला खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया मृतक खातेदार प्रथीपाल पुत्र सोहनसिंह नि0 बाहाला के आधार कार्ड सं0 954913070998 में प्रीतपालसिंह पुत्र सोहनसिंह नि0 बहाला का अनुतोष चाहती है। प्रकरण काबिज शुद्वि उचित प्रतित होता है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पैरोकार सरकार रिपोर्ट अनुसार जमाबंदी संवत् 2073–76 में खाता सं0 741, 742, 743, 744 में प्रथीपाल पुत्र सोहनसिंह जाति सिक्ख नि0 बहाला खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया मृतक खातेदार प्रथीपाल पुत्र सोहनसिंह नि0 बाहाला के आधार कार्ड सं0 954913070998 में प्रीतपालसिंह पुत्र सोहनसिंह नि0 बहाला का अनुतोष चाहती है।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

प्रकरण काबिज शुद्वि उचित प्रतित होता है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थीया के मृतक पति प्रथीपालसिंह पुत्र सोहनसिंह के स्थान पर प्रीतपाल सिंह पुत्र सोहनसिंह दुरूस्त किया जावे। उक्त दुरस्ती हेतु तहसीलदार रामगढ को अहमकाम जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 15.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ अलवर

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)